

कार्यालय मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- CE-HQ/2016-17/03

दिनांक :- 01.04.2016

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के नियम 43 के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था खुली प्रतियोगिता बोली (Open Comptitite Bidding) एवं द्वि- प्रकर्मि बोली (Two Stage Bidding) था जहां लागू हो पूर्व अर्हता/बिड आमंत्रण का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल एवं उनकी स्वयं की शासकीय वेबसाईट, के संबंध में राज्य सरकार के वित्त/एस.पी.एफ.सी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 1 (8) वित्त/साविलेनि/2014 दिनांक 31.08.2015 परिपत्र संख्या 04/2015 जारी किया गया।

उपरोक्तानुसार मण्डल में भी राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के नियम 43 के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था खुली प्रतियोगिता बोली (Open Comptitite Bidding) एवं द्वि- प्रकर्मि बोली (Two Stage Bidding) लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है एवं भविष्य में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 29 (5) के अन्तर्गत राज्य लोक उपापन पोर्टल (sPPP.rajasthan.gov.in) पर प्रकाशित NIB को ही प्रथम प्रकाशन माना जाएगा और नियमानुसार निर्धारित समय सीमा की गणना पोर्टल पर उक्त प्रकाशन की तिथि, जो की स्पष्टतया निश्चित है से ही की जाएगी। प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा समाचार पत्रों में नियम 43 के अन्तर्गत NIB के प्रकाशन हेतु भेजते समय पोर्टल पर किए गए NIB के प्रकाशन का उल्लेख भी किया जाना अनिवार्य होगा। समाचार पत्र में संक्षिप्त बोली आमंत्रण नोटिस का प्रकाशन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 43 (6)(7) एवं (8) में दर्शायी गयी प्रचार की रीतियों के अनुसार किया जाना भी आवश्यक है।

निविदाओं के प्रकाशन में कोई भी दिशा निर्देश की पालना में त्रुटि होती है तो इसकी व्यक्तिश जिम्मेदारी मानी जायेगी। संबंधित आवासीय अभियन्ता एवं उप आवासन आयुक्त राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर निविदा आमंत्रण का प्रकाशन स्वयं के स्तर से सुनियोजित करेंगे। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

तक.सहा. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 उप-शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 4 मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 5 सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 7 मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 8 वरिष्ठ लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय/तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 9 उप आवासन आयुक्त वृत.....रा0आ0म0.....
- 10 आवासीय अभियन्ता खण्ड.....रा0आ0म0.....को स्वयं के स्तर राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर निविदा आमंत्रण का प्रकाशन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11 जन सम्पर्क अधिकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 12 लेखाधिकारी वसूली वृत.....राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 13 कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र मण्डल की वेबसाईट पर डलवाकर सभी को ई-मेल करें।
- 14 रक्षित पत्रावली।

तक.सहा. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)